

प्रारूप - 3

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति—

- | | | |
|--|---|------------------|
| (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | — | उत्तराखण्ड |
| (ख) जिला | — | देहरादून |
| (ग) जिला वन प्रभाग | — | चकराता वन प्रभाग |
| (घ) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र | | |

2. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति।

3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा—

- | | | |
|--|---|-----------------|
| (क) वन का प्रकार | — | आरक्षित वन भूमि |
| (ख) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व | — | 0.01 |
| (ग) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना | — | लागू नहीं |
| (घ) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा | — | लागू नहीं |

4. भूकरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी — लागू नहीं

5. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी — लागू नहीं

6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता।

- (क) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा — लागू नहीं
- (ख) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) — लागू नहीं
- (ग) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) — लागू नहीं
- (घ) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) — लागू नहीं
- (ङ) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं, तो उसके ब्यौरे — लागू नहीं

7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे) — लागू नहीं

8. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें—

- (क) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है, और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है — लागू नहीं
- (ख) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है — लागू नहीं

9. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे—

- (क) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शन सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (ख) यदि हां, की गई कार्य अवधि अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही।
- (ग) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) — नहीं

10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे—

- (क) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति — लागू नहीं

- (ख) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें - लागू नहीं
- (ग) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं - दर्शित कर दिया गया है।
- (घ) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं) - हां
- (ङ) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय - रि. २५ लाखें १०० हजारों रु. के आसपास
- (च) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचानकर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं) - हां

1. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं) - लागू नहीं

12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें - प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रस्तावित क्षेत्र की तटनीयता एवं (संरक्षित स्थानीय) एवं निम्न के पर्याप्त में प्रस्तावित निर्माण कार्य पर कुल (या) अन्य आ. के मुद्दों के विचारों के लिए एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों। दस्तावेजों के प्रमाण (या) अन्य दस्तावेजों द्वारा कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के स्थलीय विचारों के लिए एवं उपरान्त आसन्नियों के प्रमाणों की तुलना के लिए प्रमाणित है। प्रस्तावित निर्माण कार्य मंडलाती 146 में वर्णित की तुलना के लिए प्रमाणित है। प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए एवं 1/20 आसन्नियों की पानी काय लाल दिशों के लिए एवं 1/20 आसन्नियों के उपरान्त दस्तावेजों के लिए।

(वी. चंद्र शर्मा)

दिनांक

12-2-2020

हस्ताक्षर

शासकीय मुद्रा

(Signature)

उप-प्रमुख, वन विभाग

च. १

मंडलाती